न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 09 / 2025

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
आसूराम, पटवारी, पटवार मण्डल दासपा, तहसील–भीनमाल जिला जालोर		जिला कलेक्टर (भू0अ0) जालोर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू0.अ0) जालोर के आदेश कमांक भू0अ0 / वि0जॉ0 / 2023 / 2602 दिनांक 18.07.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को लिखित चेतावनी दी गई।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार कार्य.तहसीलदार,भीनमाल श्री मीठालाल जोशी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 23 जून,2025

1. अपीलान्ट ने यह विभागीय अपील नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के तहत जिला कलेक्टर (भू0.अ0) जालोर के आदेश कमांक भू0अ0 / वि0जॉ0 / 2023 / 2602 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत अपीलार्थी को भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दी गई है, के विरूद्ध दिनांक 23.10.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जालोर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार कार्यवाहक तहसीलदार, भीनमाल श्री मीठालाल जोशी को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के पटवारी, पटवार मण्डल दासपा के पद पर कार्यरत रहते हुए जिला कलेक्टर, जालोर ने ज्ञापन कमांक 2710–12 दिनांक 20.07.2022 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित कियाः–

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप संख्या एक–

यह कि आप श्री आसूराम पटवारी जिला जालोर के तहसील भीनमाल में पटवार मण्डल दासपा के पद पर दिनांक 13.12.2018 से निरन्तर कार्यरत है। आपके पास पटवार मण्डल भागलसेफ्टा का प्रभार दिनांक 9.2.2022 से निरन्तर तथा पटवार मण्डल कोरा का प्रभार दिनांक 8.1.2.2019 से निरन्तर है। इस दौरान तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक आ.प्र.एवं स./क.आ.अ./खरीफ/2078/2021/654–50 दिनांक 30.12.21, 50–58 दिनांक 7.1.2022, 308–16 दिनांक 30.1.22 एवं 727 दिनांक 4.3.2022 के निर्देशानुसार कृषि आदान–अनुदान हेतु पात्र काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड किये जाने था। आपको तहसीलदार भीनमाल के पत्रांक भू0अ0/22/143–153 दिनांक 19.2.22 के जरिये कारण बताओं नोटिस के द्वारा DMIS पोर्टल पर प्रभावित काश्तकारों का विवरण अपलोड करने हेतु बार–बार whatsaap group team revenue bhinmal, LRC group bhinmal पर एवं लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित किया जाता रहा है। उक्त आदेश जारी होने के तीन माह बाद भी पोर्टल पर काश्तकारों का विवरण समय पर अपलोड करने में आप द्वारा अनावश्यक देरी की जा रही है, जिसका विस्तृत विवरण आरोप विवरण में अंकित है। इस प्रकार से आप द्वारा उत्तराधिकारियों के आदेशों की स्पष्टतया अवहेलना की जा रही है तथा पटवारी पद के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। अतः आप अनुशासनिक कार्यवाही के भागी है।

आरोप संख्या दोः–

यह कि आपके पास पटवार मण्डल दासपा, कोरा व भागलसेफ्टा का कार्यभार है। उक्त पटवार मण्डलों के काश्तकारों द्वारा आपके हल्के में उपस्थित नहीं रहने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है तथा वक्त निरीक्षण पाया गया है कि आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किस पटवार मण्डल में किस दिन कार्य करेंगे, की सूचना भी अंकित होना नहीं पाया गया। आपका उक्त कृत्य लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः आप अनुशासनिक कार्यवाही के भागी है।

4. अपीलान्ट ने दौराने व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 8.6.2023 को यह कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा आरोपित आरोपों का प्रत्युतर दिनांक 12.8.2022 को तहसीलदार भीनमाल के जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 8.6.2023 को व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात् हस्तगत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश दिनांक 18.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दी गई। जिला कलेक्टर, जालोर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह कथन भी किया कि अपीलान्ट दिनांक 13.2.2018 से पटवार मण्डल दासपा में कार्यरत है। मेरे पास पटवार मण्डल, भागलसेफ्टा का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 9.2.2022 से निरन्तर एवं पटवार मण्डल कोरा का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 8.1. 2019 से निरन्तर है। तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक आ.प्र.एवं स./क.आ.अ. /खरीफ/2078/ 2021/ 654–50 दिनांक 30.12.21, 50–58 दिनांक 7.1.2022, 308–16 दिनांक 30.1.22 एवं 727–35 दिनांक 4.3.2022 के निर्देशानुसार कृषि आदान–अनुदान हेतु पात्र काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक, वाट्सग्रुप एवं स्वयं काश्तकारों से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए उक्त तीन पटवार मण्डलों की चार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्य राजस्व एवं पदीय हैसियत के कार्य यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जॉच, नामान्तरकरण, सीमांकन, जमाबन्दी प्रतिलिपि जारी करने व अन्य जॉच आदि कार्यो को समय पर सम्पादित करते हुए उक्त कार्य बाबत भी भरसक प्रयास करते हुए सम्पादित किये गये। किन्तु फिर भी सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा ई–मित्र से अपना जनाधार, बैंक खातों से लिंक नहीं करवाया गया है, न ही जनाधार बनवाया गया। इसके अतिरिक्त पटवार हल्का, दासपा, कोरा व भागलसेफ्टा के कई कृषक निजी व्यवसाय आदि हेतु परिवार सहित बाहर रहते है। करीब 20–25 प्रतिशत खातों में पुत्रियों के नाम होने से एवं वे अपने ससुराल में होने से आधार कार्ड सम्बन्धित परिवार के सदस्यों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के उपरान्त भी मुझ अपीलान्ट द्वारा पटवार मण्डल दासपा के 52.39 प्रतिशत, पटवार मण्ल भागलसेफ्टा के 49.72 प्रतिशत व कोरा में 58.10 प्रतिशत तक DMIS पोर्टल पर काश्तकारों के डाटा अपलोड करवाये गये। पटवार मण्डल दासपा में प्राप्त जनाधार कार्ड में से 190 आधार कार्ड, भागलसेफ्टा में 274 व कोरा में 130 आधार कार्ड ऐसे है, जिनके जनाधार नहीं होने से या बैंक खातों से जनाधार लिंक नहीं होने के कारण वांछित प्रगति नहीं हो पाई है।

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन भी किया कि उक्त अवधि में तीन पटवार मण्डल के 8 गांवों की रबी सम्वत 2078 की गिरदावरी एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य भी समय पर पूर्ण किये गये। इस प्रकार मुझ अपीलान्ट द्वारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनावश्यक देरी नहीं की गई है एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी नहीं की गई है। पटवारी पद के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही भी नहीं बरती गई है। ग्राम पंचायत सरथला व भागलसेफ्टा की आम बैठक में जनाधार आदि बैंक खातों से लिंक नहीं करवाने वाले कृषकों की सूची पढकर सुनाने बाबत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रतिलिपियां सबूत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन भी किया कि आरोप संख्या दो भी पूर्णतया निराधार है क्योंकि अपीलान्ट के पटवार भवन में उपस्थित रहने सम्बन्धी कोई लिखित शिकायत किसी के भी द्वारा नहीं की गई थी। अपीलान्ट के पास तीन पटवार मण्डलों का चार्ज होने से मेरे द्वारा पटवार हल्के के दरवाजे पर उपस्थिति बाबत दासपा के लिये सोमवार, गुरूवार, कोरा हेतु मंगलवार व शुक्रवार तथा भागलसेफ्टा हेतु बुधवार के कार्यदिवस निर्धारित कर रखे है। इसके अतिरिक्त पटवारी कार्मिक के रूप में मोबाइल नम्बर भी स्पष्ट अंकित कर रखे है। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जॉच हेतु तत्काल हल्के के अन्य गांवों मे जाने से सूचना बोर्ड पर सूचना कभी कभार अंकित नहीं हो पाती है। ऐसे में मेरे द्वारा किसी प्रकार से अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता नहीं बरती गई है।

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन भी किया कि आरोपित आरोपो बाबत तहसीलदार भीनमाल एवं उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा जॉच भी की गई थी, जिसमें दोनों अधिकारियों के द्वारा अपीलान्ट कार्मिक के कार्यो को संतोषजनक बताया था। तीन पटवार मण्डलों का चार्ज होने से एक ही पटवार मुख्यालय पर हर समय उपस्थित रहना मुमकिन नहीं हो पाता है। अपीलान्ट के पास तीन पटवार मण्डलों का चार्ज होते हुए भी राजकीय कार्यो को लगन एवं समय पर तथा कृषकों के आदान अनुदान हेतु पात्र काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड किये जाने का कार्य तत्परता से किया गया था। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आरोपों का उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए लिखित में प्रत्युतर पेश कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी संतोषजनक जवाब पेश किया गया था। उसके उपरान्त भी जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा उक्त जॉच रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए अपीलान्ट की किसी प्रकार से लापरवाही नहीं होते हुए भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दे दी गई है जो अपास्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2023 को अपास्त किया जावें।

9. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित हुए विभागीय पैरोकार, तहसीलदार रानी श्री मीठालाल जोशी ने जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये दण्डादेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया तथा जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपील पर प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का कथन किया गया।

10. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा अपने पटवार मण्डल क्षेत्र के कृषि आदान अनुदान के पात्र काश्तकारों को DMIS पोर्टल पर विवरण अपलोड करने हेतु लिखित तथा मौखिक निर्देशित किये जाने पर भी समय पर कार्य सम्पन्न नहीं किया गया तथा अनावश्यक देरी की गई। अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा अपीलान्ट की व्यक्तिगत सुनवाई करने के उपरान्त ही भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दी गई है, जो उचित है।

11. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि सीसीए नियम 17 में वर्णित लघु दण्ड में लघुत्तम दण्ड 'परिनिन्दा' है और जिला कलेक्टर के द्वारा आरोपी को भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दी गई है जिसका अंकन सर्विस बुक में तो होता है लेकिन पदौन्नति व एसीपी स्वीकृति के दौरान इसे दण्ड नहीं गिना जा सकता है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार व अनावश्यक होने से निरस्त करने योग्य है। ऐसे में जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2023 को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज फरमाया जावें।

12. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन व मनन किया तथा अपील, अपील पर प्रेषित टिप्पणी, जिला कलेक्टर, जालोर की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया कि जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दी गई है।

सभागीय आयुक्त
जोधपुर

13. अपीलान्ट के प्रकरण में आरोपित आरोपो के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा तहसीलदार, भीनमाल एवं उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल से जॉच करवाई गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पर आरोपित आरोपो के सम्बन्ध में पटवारी हल्का के मुख्यालय पर नहीं रहने बाबत आज दिनांक तक किसी काश्तकार व आमजन की कोई लिखित व मौखिक शिकायत नहीं आई है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास तीन पटवार मण्डलों का कार्यभार होने, कृषकों द्वारा जनाधार ईमित्र से बैंक खाते से लिंक नहीं करवाये जाने से कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपडेट होने में विलम्ब होना बताया है। जिला कलेक्टर, जालोर ने अपने अपीलाधीन आदेश में उक्त जॉच रिपोर्ट्स के अनुसार अपीलान्ट पटवारी का कार्य वर्तमान में संतोषजनक है, अंकित किया गया है। ऐसे में जिला कलेक्टर, जालोर के समक्ष उक्त जॉच रिपोर्ट को न मानने का कोई आधार नहीं था, उसके उपरान्त भी अपीलान्ट को भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने हेतु लिखित चेतावनी दी गई है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने एवं पत्रावली का गहनता से गौर किये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 जून,2025 को सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर